Poonam Shodh Rachna (ISSN 2456-5563)
(A multidisciplinary, peer reviewed and refereed Research Journal)
Vol. 2, Issue.5, May 2023, PSR-2305001

# भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध : एक नई दिशा की ओर

डा० संजय गौतम
सहायक आचार्य
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग
शिवहर्ष किसान पी0जी0 कॉलेज, बस्ती

भारत–पाकिस्तान का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। लेकिन भौगोलिक रूप से पाकिस्तान भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तरफ बसा दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा की जाती रही, जिससे पूर्वी पाकिस्तानियों में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति असंतोष की भावना का उदय हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान के बढ़ते उपेक्षा व अत्याचार ने पूर्वी पाकिस्तान के असंतोष को एक दिन इतना बढ़ा दिया कि इसका परिणाम 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के रूप में सामने आया। और युद्ध के परिणामस्वरुप पाकिस्तान की भारत के हाथों करारी हार हुई और पूर्वी पाकिस्तान का एक नए देश 'बांग्लादेश' के नाम से उदय हुआ। बांग्लादेश की जनता द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया विद्रोह न केवल नया इतिहास लिखा अपितु दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन भी बदल गया। इस युद्ध में बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी ने जो संघर्ष किया उसमें भारत का भी सक्रिय सहयोग रहा और यही वह दौर था जब से बांग्लादेश भारत संबंधों की नींव पड़ी।

बांग्लादेश के आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान जब 1972 में पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए तो उन्होंने 6 फरवरी 1972 को भारत की यात्रा की, जो पारस्परिक संबंधों में दृढ़ता लाने का एक सफल प्रयास था। शेख मुजीब के भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करने हेतु शांति मैत्री एवं पारस्परिक सहयोग की प्रतिबद्धता की रूपरेखा तैयार किया गया। शेख मुजीब की इस यात्रा के पश्चात भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा की, जिसमें 19 मार्च 1972 को दोनों देशों के मध्य भविष्य के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने हेतु 25 वर्षीय मित्रता एवं सहयोग की संधि पर पारस्परिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारा एवं साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशविरोधी व रंगभेदी नीतियों के शमन एवं सहयोग हेतु अपनी प्रतिबद्धता जताई।[1]

यह संधि भारत व बांग्लादेश द्वारा न केवल आपसी संबंधों को मजबूत करने का आधार सिद्ध हुआ अपितु यह संधि शांति के स्थायित्व की दिशा में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों द्वारा किया गया सफल प्रयास था।[2]

1974 में शेख मुजीबुर्रहमान ने दूसरी बार भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के मध्य दाहाराम एवं अंगारपोता को लेकर एक सीमा समझौता संपन्न किया गया। यह सीमा समझौता दोनों देशों के मध्य संबंधों में मजबूती लाने का एक सफल प्रयास था।[3]

**दोनों देशों के मध्य विवाद के प्रमुख बिंदु ;**

**भारत बांग्लादेश सीमा समझौते का इतिहास एवं तीन बीघा गलियारा–**

भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल (2216) किलोमीटर मेघालय (443) किलोमीटर असम (263) किलोमीटर मिजोरम (318) किलोमीटर त्रिपुरा (856) किलोमीटर बांग्लादेश भारत सीमा पर कुल 802 भारतीय सीमा चौकिया पर भारतीय जवान तैनात हैं।[4]

बांग्लादेश में भारत के 111 एंक्लेव (विदेशी अतः क्षेत्र) एवं भारत में बांग्लादेश के 51 एंक्लेव (विदेशी अतः क्षेत्र) होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे की जमीन से होकर अपने अंत; क्षेत्र में जाना पड़ता था। इस समस्या को लेकर दोनों देशों की ओर से 1974 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के मध्य एक समझौता प्रस्तावित किया गया, जिसे स्थल सीमा समझौता ( -1974) कहा गया। भारत–पाक बंटवारे के समय अंग्रेजों ने एक मैप पर सीमा रेखा (रेडक्लिफ लाइन)का निर्धारण करके पाकिस्तान को दो टुकड़ों (पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान) में विभाजित कर दिया। सीमा निर्धारण में जनसांख्यिकी, पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक बनावट आदि का ध्यान नहीं रखा गया। परिणामस्वरुप बांग्लादेश का उदय होने के पश्चात भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ठीक से निर्धारण न हो सकी। क्योंकि दोनों देशों में एक दूसरे के विदेशी अंत; क्षेत्र (एनक्लेव) मौजूद होने के कारण एक दूसरे के नागरिकों के आवागमन, जवानों की गस्ती, बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि में बाधा उत्पन्न हो रही थी।[5] लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से यह समस्या सुलझा नहीं पा रही थी। 1982 में पुन; इसके समाधान का असफल प्रयास किया गया। 1992 में तीन बीघा गलियारे को नागरिकों की सुविधा के लिए 6 घंटे के लिए खोला गया। 1996 में पुन; इसे 12 घंटे के लिए खोला गया, और अंततः सितंबर 2011 में भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री'डॉ0 मनमोहन सिंह' के बांग्लादेश दौरे के उपरांत इस तीन बीघा गलियारे को बांग्लादेश को 95 साल के लिए पट्टे पर दे दिया गया तथा 24 घंटे के लिए अंगारपोता व दाहाग्राम के तीन बीघा गलियारे को आवागमन हेतु खोला गया।[6]

**भारत और बांग्लादेश के मध्य एनक्लेव (विदेशी अन्तः परिक्षेत्र) आदान–प्रदान संबंधी समझौता**

1974 से चले जा रहे भूमि सीमा समझौते एवं 2011 में संपन्न 99 साल की लीज पर तीन बीघा गलियारे संबंधी समस्या को पूर्ण रूप से 31 जुलाई 2015 को भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संपन्न समझौते द्वारा पूरी तरह से सुलझा लिया गया।[7]भारतीय संसद के दोनों सदनों में एल० बी०ए० बिल जून 2015 में पास हो गया।

इस समझौते को भारतीय प्रधानमंत्री 'श्री नरेंद्र मोदी' की बांग्लादेश यात्रा 6–7 जून 2015 की अगली कड़ी मानी जाती है।

इस समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश में भारतीय परिक्षेत्र एवं भारत में बांग्लादेशी परिक्षेत्र एक दूसरे को स्थानांतरित कर दिए गए। दोनों देशों के इस परिक्षेत्र में बसे नागरिकों को यह एक नया अवसर था कि वह अपनी नई राष्ट्रीयता व देश को चुन सके। वैकल्पिक तौर पर उनको इस समझौते के अनुसार यह अवसर प्रदान किया गया था।[8]

**चकमा शरणार्थी समस्या एवं भारत की चिंताएं**

बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत से मिलती है जिसके प्राकृतिक रूप से खुले होने के कारण बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। शरणार्थियों के प्रवेश की यह समस्या 1947 के बाद से ही चला रहा है। शरणार्थी आबादी का देश पर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेशी शरणार्थी चकमा (बौद्ध धर्म अनुयाई और हिंदू–होजोंग शरणार्थी) बड़े स्तर पर 1960 के दशक के पश्चात भारत में शरण लेने पहुंचे।

बांग्लादेश में शेख मुजीब की हत्या के पश्चात वहां पर सैनिक शासन स्थापना के कारण वहां पर चकमाओं पर अत्याचार बढ़ने लगा। उनकी जमीन मुस्लिम समुदाय के अधीन होते चली गई और यह शरणार्थी भारत के त्रिपुरा व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शरण लेने को आते गए।

इन शरणार्थियों को लेकर भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ 1984 तथा 1985 में वार्ताएं कर इनको वापस भेजना शुरू तो कर दिया है। लेकिन चकमा शरणार्थी चिटगांव से पुन; भारत संपत्ति सुरक्षा व अन्य कारणों से वापस आना शुरू कर दिए। स्थानीय आबादी व इन शरणार्थियों के मध्य मनमुटाव व संघर्ष आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। ऐसे में सरकार को इनको लेकर एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।[9]

**भारत बांग्लादेश पारदर्शी सीमाएं व तस्करी**

भारत–बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसके 60% सीमा रेखा पर तो तार के बाढ़ लगाए गए हैं लेकिन शेष हिस्से नदियों, तालाबों व खेतों के कारण खुला है, जसका फायदा उठाकर तस्कर यहां पर सक्रिय हैं। यहां पर मानव तस्करी, अवैध हथियार, ड्रग्स, नशीली दवा, प्रतिबंधित वन्य जीव, लकड़ीयां आदि की तस्करी की जा रही है। तस्करी की यह समस्या भारत, बांग्लादेश दोनों देशों के लिए सर दर्द बनता जा रहा है।

**भारत बांग्लादेश नदी जल बटवारा संधि–1996**

भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संयुक्त नदी आयोग(JRC- Joint River Committee) का गठन 1972 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा की जाती है। जिसमें दोनों देशों के मध्य जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग व इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी के जल बंटवारे पर 12 दिसंबर 1996 को गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर 31 वर्षीय समझौता संबंध किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के मध्य जल विभाजन की समस्या का समाधान करना एवं तनाव को रोकना था।

यह समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य हुआ था।

**तीस्ता नदी जल समझौता ;(Teesta river water agreement)**

तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तीस्ता नदी के जल विभाजन को लेकर 1983 में एक समझौता संपन्न किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि बांग्लादेश इस नदी का 36 प्रतिशत और भारत 39 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन विवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।[10]

Meena, Dr. Rakesh Kumar, Indian Council of World Affairs, Sapru House, New Delhi, 18 May-2015

भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कुल 54 ऐसी नदियां हैं जो दोनों देशों के परिक्षेत्र से होकर बहती हैं जिसके कारण इन क्षेत्रों में कृषि व अन्य कार्य किए जाते हैं।

**न्यू–मूर द्वीप विवाद ;**

भारत और बांग्लादेश के मध्य जलीय सीमा का निर्धारण ठीक से न हो पाने के कारण दोनों देशों के मध्य 1979 से ही न्यू–मूर द्वीप विवाद का विषय बना हुआ है।

यह द्वीप सुंदरबन के नजदीक है। इस दीप का निर्माण तिब्बत को नेपाल से निकली नदियों द्वारा लाई गई मिटी से हुआ है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल अनुमानत; अगले एक दशक में 24 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार न्यू–मूर द्वीप की दूरी भारत के मुख्य विभाग से 5.2 किलोमीटर एवं बांग्लादेश के मुख्य भूमि से 7.5 किलोमीटर दूर स्थित है।[11]

न्यू–मूर द्वीप का पता भारत द्वारा लगाए जाने के काफी समय बाद बांग्लादेश को पता चला ब्रिटिश एडमिरल्टी चार्ट में इसे भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया भी जा चुका था। उसके एक साल बाद जैसे ही बांग्लादेश को 1978 में इसका पता चला उसने इस पर अपने दावे करने शुरू कर दिए।[12]

इस द्वीप के विवाद के समाधान हेतु दोनों पक्ष की तरफ से राजनीतिक वार्ताएं चल रही हैं।

**दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्र ;**

**आर्थिक क्षेत्र में सहयोग–**

भारत एवं बांग्लादेश भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों देशों की निकटता उनके व्यापारिक भागीदार का सबसे बड़ा अवसर है। बांग्लादेश और भारत की एक बड़े स्तर पर व्यापारिक साझेदारी से इनके अर्थव्यवस्था में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। 2020–21 में दोनों देशों के मध्य व्यापार का आंकड़ा लगभग 10 बिलियन डॉलर (अमेरिकी) से बढ़कर 18 बिलियन डॉलर (अमेरिकी) पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश को और ज्यादा व्यापारिक सुविधा प्रदान करने हेतु दक्षिण एशियाई मुक्त संगठन (सफ्टा) के अंतर्गत ड्यूटी व कोटा फ्री की सुविधा दे रखी है।

दोनों देश (CEPA-Comprehensive Economic Partnership Agreement) व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप देने हेतु प्रयासरत हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत–बांग्लादेश आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने पांच प्रमुख क्षेत्र कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं पर्यटन में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोविड–19 के समय भारत ने बांग्लादेश में लगभग एक करोड़ तक की खुराक रियायती रेट के साथ उपलब्ध कराई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार विश्व में बांग्लादेश भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।[13]

**कनेक्टिविटी**

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के शीर्षस्तरीय अधिकारियों की बैठकों में ईनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, व बंदरगाहों के विकास, समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA-Comprehensive Economic Partnership Agreement) पर अपनी अपनी राय रखी गई।

दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर हाट, मल्टी मॉडल परिवहन व अन्य माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी व पारस्परिक हित के मुद्दों पर संयुक्त रूप से व्यापक विचार विमर्श किया गया। भारत सरकार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के मध्य व्यापारिक कार्य हेतु सिराजगंज बाजार में एक कंटेनर हैंडलिंग सुविधा

के विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी०पी०पी०) को स्वीकृत कर दिया गया है बेनापोल में 900 मीटर की नवीन साइडिंग लाइन को दोनों देशों के मध्य मालगाड़ियों के सफल संचालन हेतु निर्मित किया जा रहा है।[14]
अखौरा– अगरतला रेल लिंक के माध्यम से बांग्लादेश और भारत के मध्य प्रथम रेल मार्ग बनाया जा रहा है। दोनों देशों द्वारा भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना बांग्लादेश के दिनाजपुर व भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ने व हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर समझौते की रूपरेखा पर वर्ष 2018 में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहां खासकर बांग्लादेशी नागरिक अधिकांश मात्रा में भारत आते रहते हैं। दोनों देश सार्क आई.ओ आर.ए.(IORA-Indian Ocean Rim Association), बिम्सटेक के सक्रिय सदस्य भी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत बांग्लादेश का सहयोग कर रहा है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० व बी०पी०डी०एस० के संयुक्त प्रयास से रामपल में एक शक्ति संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

**तकनीकी सहयोग**

बांग्लादेश को भारत प्रत्येक वर्ष आई०टी०ई०सी० (ITEC- Indian Technical and Economic Cooperation) के अंतर्गत 100 स्लॉट का आवंटन करता है। बांग्लादेश, भारत का एक महत्वपूर्ण आई ०टी०ई०सी० भागीदार देश है, और यहां के तमाम भागीदार इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं।
दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान बांग्लादेश के प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी, पुलिस, शिक्षकों व वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण आदि की संचालन भारत द्वारा ही किया जा रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी सहयोग हेतु आई०सी०एस०एस०आर० (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद) के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर तथा टैगोर चेयर की स्थापना की गई। सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध को और मजबूत किया गया।
बांग्लादेश में भारत की भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 12 शहरों में वीजा आवेदन केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के मध्य जलपाईगुड़ी–ढाका रेल सेवा सीमा पर तीन हाट विकसित करने, आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदम उठाने व शांति स्थापना की दिशा में संयुक्त प्रयास हेतु समझौते संपन्न किए गए।
जिस प्रकार चीन अपने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढा रहा है, ऐसे में बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं रह गया है। चीन के प्रभाव को कम करने व दक्षिण एशिया में भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध व सहयोग भारतीय आर्थिक व सामरिक हित में है।

**निष्कर्ष**

बदलते भू–राजनीतिक वैश्विक परिपेक्ष में भारत का बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना आज की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। दक्षिण एशिया में भारत–बांग्लादेश सम्बन्ध दोनों देशों के हित में हैं। दोनों देशों को एक नई साझेदारी को विकसित करने पर जोर देना चाहिए। भारत के "प्रथम पड़ोस नीति", "एक्ट ईस्ट नीति” के दृष्टिकोण से ऐसा महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ रणनीतिक व आर्थिक भागीदारी हमारी सुरक्षा के हित में है। बांग्लादेश की अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण भारत के पूर्वी पड़ोसी के रूप में इसका रणनीतिक व आर्थिक महत्व ळें

## संदर्भ सूची ; References


1. एस० एस० बिन्द्र, इण्डिया एण्ड हर नेबर्स, पृ०– 151
2. टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 मार्च, 1972
3. एस० एस० बिन्द्र, इण्डिया एण्ड हर नेबर्स, पृष्ठ संख्या–30
4. Ministry of Home Affairs; Government of India

or see

https://www-google-com/url\sa¾t&source¾web&rct¾j&opi¾89978449&url¾https://www-mha-gov-in/sites/default/files/IndiaBanglaDeshBorderManag_300615-pdf&ved¾2ahUKEwjb1pyX5a6BAÛVSbGwGHTH6AGY4HhAWegQIAÛAB&usg¾AOvVaw2kcMKfjlTbF5nhRURWEz9a

5. Benerjee, Superna & Chaudhary Anasua basu, observer research Foundation, 13 july 2017, New Delhi

or see

https://www-google-com/amp/s/www-orfonline-org/research/the&2015&india&bangladesh&land&boundary&agreement&identifying&constraints&and&eÛploring&possibilities&in&cooch&behar/

6. Ministry Of Eûternal Affairs, Government of India, 7 Sept.-2011

or see

https://mea-gov-in/bilateral&documents-htm\dtl/5147/Joint+Statement+on+the+occassion+of+the+visit+of+the+PM+of+India+to+Bangladesh

7. The 100th Bill on the Land Boundary Agreement was unanimously passed in India by both the houses of Parliament; 6 May 2015 in Rajya Sabha and 7 May 2015 in Lok Sabha-

Or see,

http://www-thehindu-com/opinion/op&ed/land&swap&can&a&deal&be&clinched/article7032651-ece\ref¾relatedNews

8 वार्षिक समीक्षा– 2015, आई०सी०डब्ल्यू०ए०, अनुसंधान संकाय द्वारा निर्मित विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली 1100001

or see,

https://www-google-com/url\sa¾t&source¾web&rct¾j&opi¾89978449&url¾https://www-icwa-in/WriteReadData/RTF1984/8142048705-pdf&ved¾2ahUKEwjF8MPkybCBAÛXMTWwGHVd0D404FBAWegQIAÛAB&usg¾AOvVaw3LtuFCFibjgMdw&GQÛEbea

9. Singh, Damini, Orf, 9 Oct 2017, New Delhi

https://www-google-com/amp/s/www-orfonline-org/hindi/research/%25E0%25A4%259A%25E0%25A4%2595%25E0%25A4%25AE%25E0%25A4%25BE&%25E0%25A4%25B9%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%259C%25E0%25A5%258B%25E0%25A4%2582%25E0%25A4%2597&%25E0%25A4%25B6%25E0%25A4%25B0%25E0%25A4%25A3%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25A5%25E0%25A4%25BF/

10. https://www-icwa-in/show_content-php\lang¾1&level¾3&ls_id¾566&lid¾432

11. S.S. Bindra, India & Her Neighbors, P- 169

12. India Today, 19 Sept, 2014

Or see,

https://www-indiatoday-in/magazine/special&report/story/19810615&india&bangladesh&at&loggerheads&over&new&moore&island&805968&2014&02&22

13. अमर उजाला, 5 मार्च–2022, पब्लिश्ड बाय शिवशरण शुक्ला

14. Shukla, Shivsharan, Amarujala, 5 March-2022

15. https://www-google-com/url\sa¾t&source¾web&rct¾j&opi¾89978449&url¾https://www-mea-gov-in/Images/pdf/india&bangladesh&relations&04&05&2012&press&release&hindi-pdf&ved¾2ahUKEwiNÛMa4_rCBAÛWF8DgGHbu4BrI4ChAWegQICRAB&usg¾AOvVaw3zKOOd8A62jFlbsI5VvR5b